

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :- 07/2025 GCM5 No. 2025/19

परिवादी :-

- 1 श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
डीडवाना-कुचामन (राज.)

बनाम

अभियुक्त :-

1. श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायणलाल खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक
फर्म -मैसर्स निलम मीठा मावा भण्डार एण्ड रसगुल्ला भण्डार, कनोई पार्क कुचामन निवासी
वाया पलसाना गोरधनपुरा सीकर।

“ परिवाद अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 ”
उपस्थिति :- ।

-:निर्णय :-


दिनांक :- 19/11/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना-कुचामन ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.01.2025 को समय 12.25 P.M. पर फर्म मैसर्स-निलम मीठा मावा भण्डार एण्ड रसगुल्ला भण्डार, कनोई पार्क, कुचामनसिटी पर पहुंचा। वहां पर श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायणलाल सैनी खाद्यकारोवारकर्ता मिले। श्री जीवणराम को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री जीवणराम ने स्वयं को मैसर्स-निलम मीठा मावा भण्डार एण्ड रसगुल्ला भण्डार, कनोई पार्क, कुचामनसिटी का खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा-पत्र, स्वयं के आधार कार्ड की स्व:हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध मीठा मावा (लूज) 4 पीपो में (प्रत्येक में 15 किलो ग्राम जो लगभग 60 किलोग्राम) में रखे है। के अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर 2 किलोग्राम मीठा मावा (लूज) खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायणलाल सैनी को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जॉय खरीदा। जिसकी कीमत श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायणलाल सैनी को 360/- रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्यकारोवारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तर्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्य कारोवारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी



कहा, जिस पर श्री जीवणराम एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता मालिक श्री जीवणराम को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा मीठा मावा (लूज) 2 किलो ग्राम को चौड़े मुंह की चार साफ प्लास्टिक बोतलो में बराबर-बराबर मात्रा में डालकर उसमें 40-40 बूंदे फॉर्मैलीन 40% डालकर ढक्कन को एयर टाईट बंद कर उन पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. डीडवाना-कुचामन के कोड एवं क्रमांक AP-14 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.डीडवाना-कुचामन की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AP-14 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियाँ एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन के क्रमांक/संस्था/ एफएसएसए /2024-25/25 दिनांक 26.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./238/Act/2025/258 दिनांक 19.03.2025 के अनुसार मीठा मावा (लूज) का नमूना **Substandard** होना पाया गया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संरिथत करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री जीवणराम सैनी ने खाद्य पदार्थ मीठा मावा (लूज) **Substandard** का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3 (1) {2x} **Substandard {B.R.of Extracted fat at 40°C 46.8 In Place of Result 40-44}** धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीडवाना-कुचामन बनाम
जीवणराम सैनी मैसर्स नीलम मीठा मावा कुचामन

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की रसीद, अभिहित अधिकारी नागौर की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी नागौर द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा-पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 22.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायणलाल सैनी खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक कुचामन को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभियुक्त का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि उक्त फर्म मैसर्स नीलम मीठा मावा भण्डार एण्ड रसगुल्ला भण्डार कनोई पार्क कुचामन जीवणराम सैनी पुत्र नारायणलाल सैनी द्वारा मीठा मावा (लूज) विक्रय किया गया, वह "घटिया (40 डिग्री सेल्सियस पर निकाली गई वसा का बी. आर.46.8 परिणाम के स्थान पर 40-44 ही है।)" जिसकी पुष्टि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से साबित होती है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के FORM- VII A रिपोर्ट नं.L.S./238/Act/2025/258 दिनांक 19.03.2025 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion- The sample of **Meetha Mawa sweets** bearing Code No. and Sr. No. **AP-14** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Didwana-Kuchaman contains **High BR** than the prescribed standards (Reg.No. **2.12.1**) and provision of Food Safety and Standards (Food products Standards and Food Additive) Regulation, 2011. **hence it is declared Substandard** under section **3(1)(a)(zx)** of Food Safety and Standards Act-2006.

अतः खाद्यकारोबारकर्ता श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायणलाल सैनी मैसर्स नीलम मीठा मावा भण्डार एण्ड रसगुल्ला भण्डार कनोई पार्क कुचामन निवासी वाया पलसाना गोरधनपुरा सीकर से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मीठा मावा (लूज) नमूना नं. **AP-14** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन के कोड **AP-14** वाले मीठे मावा मिठाई के नमूने में निर्धारित मानको (पजीकरण संख्या 2.12.1) एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के प्रावधानों की तुलना में उच्च बी.आर. पाया गया है, इसलिए इस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 3(1)(a)(zx) के तहत अवमानक घोषित किया गया।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) एवं 58 इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :-(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा-58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार मीठा मावा (लूज) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायणलाल सैनी मैसर्स नीलम मीठा मावा भण्डार एण्ड रसगुल्ला भण्डार कनोई पार्क कुचामन निवासी वाया पलसाना गोरधनपुरा सीकर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायणलाल सैनी मैसर्स नीलम मीठा मावा भण्डार एण्ड रसगुल्ला भण्डार कनोई पार्क कुचामन निवासी वाया पलसाना गोरधनपुरा सीकर पर राशि रुपये 11000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना-कुचामन के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना-कुचामन इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी